

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश  
(बजट अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक:: 29 अगस्त, 2017

A C (A) Kannauj

Commercial Tax, Region- Etawah

आपके पत्र संख्या-173 दिनांक 30/07/2017 द्वारा की गयी माँग व एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-3083 दिनांक 29/09/2017 के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2040-बिक्री,व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय आयोजनेत्तर-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान" के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार मानक मद-16-व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिये व्यय की मद में धनराशि रु 2,05,000/- (रुपये दो लाख पाँच हजार मात्र) का आवंटन किया जाता है। उक्त आवंटित की जा रही धनराशि से दीवानी वाद दायर सम्बन्धी व्यय करने हेतु भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें । कृपया आवंटित की जा रही धनराशि का समुचित उपयोग कर लिये जाने की कार्यवाही से मुख्यालय को भी अवगत कराये ।

यह आवंटन किसी भी प्रकार से व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि बजट मैनुअल और वित्तीय हस्त-पुस्तिका के संगत नियमों एवं अन्य आदेशों/शासनादेशों के अन्तर्गत जहाँ शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसी स्वीकृति व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर से न प्राप्त कर ली जाये । अतः सक्षम अधिकारी से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करके ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये ।

प्रमाणित किया जाता है कि इस आवंटन की प्रविष्टि बजट-आवंटन पंजिका के सम्बन्धित पृष्ठों पर कर ली गयी है ।

संलग्नक-: यथोपरि ।



( सुभाष चन्द्र यादव )

एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पू0प0सं0 एवं दिनांक यथोपरि ।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को उपर्युक्त संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1:- मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, Kannauj
- 2:- उपमहालेखाकार, राजकोष एवं वी0एल0सी0, कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी )-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

( सुभाष चन्द्र यादव )

एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

